FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : बांसवाड़ा(राज.)

वादी बनाम प्रतिवादी

....

....

किस्म मुकदमा : .... प्रकरण संख्या /20

तारीख हुक्म	हूक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली बाद जॉच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री ....कल्ला.... पिता श्री ....पूंजा.... निवासी ....काकाचापड़ा साकरिया.... द्वारा एक वाद–पत्र अंतर्गत धारा ....88, 188, 209.... के तहत प्रतिवादी श्री ....मानेंग.... पिता श्री ....[illegible].... निवासी ....काकाचापड़ा साकरिया.... के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक....6.3.18....को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
6.3.18	पत्रावली पेश हुई / [illegible] P.O. साहब अवकाश पर प्रतिवादी वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया गया पत्रावली शामिल हो कर दिनांक 22-3-18 को पेश हो। [signature]	
22.3.18	पत्रावली पेश हुई वादी / प्रतिवादी वकील उपस्थित पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 09-4-18 को पेश हो। [signature]	
9.4.18	पत्रावली पेश हुई [illegible] P.O. साहब [illegible] में [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 17.4.18 को पेश हो [signature]	
17.4.18	पत्रावली पेश हुई / [illegible] P.O. साहब [illegible] [illegible] उपस्थित प्रतिवादी [illegible] जवाब प्रस्तुत किया वादी वकील [illegible] पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 9-5-18	
9.5.18	पत्रावली आगामी दिनांक 14.5.18 को [illegible] हाल [illegible] में पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:44 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.22	पत्रावली पेश हुई [illegible] PO अवकाश पर होने से न्यायिक कार्य नहीं हुआ पत्रावली वास्ते 16.11.22 को पेश हो। [signature]	
16.11.22	पत्रावली पेश हुई। अन्तिम बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर गहन अध्ययन किया गया मनन ~~बहस~~ उपरान्त पक्षकारान उपरान्त वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय डिक्री पृथक से लिखकर सुनाया जाकर [illegible] पर बोला गया। ~~निर्णय~~ पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति [illegible] किया गया। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय व बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा

प्रकरण संख्या– 10 / 2018 दायर दिनांक–06 / 03 / 18

उनवान

1.श्री कलजी पिता श्री पुंजा उम्र वयस्क जाति भील निवासी काकरापाडा सालिया हाल निवास मुंगाडा तहसील धरियावाद प्रतापगढ (राज)
2.श्री लवजी पिता श्री पुंजा उम्र वयस्क जाति भील निवासी काकरापाडा सालिया हाल निवास मुंगाडा तहसील धरियावाद प्रतापगढ (राज)

(वादीगण)

बनाम

1.श्री मानेंग पिता हिरजी माता जवेर उम्र वयस्क जाति भील निवासी काकरापाडा सालिया हाल निवास मुंगाडा तहसील धरियावाद प्रतापगढ राज
2. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब, तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाडा (राज.)।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति

1. जयेन्द्र पुरोहित — अधिवक्ता वादीगण
2. राजेन्द्र पाटीदार — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा–88,188 आर.टी एक्ट

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

दिनांक:–16.11.22

निर्णय

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 68 नई, पुरानी 59 के खसरा नं. 1081 रकबा 7–15 बीघा, खसरा नम्बर 1141 रकबा 2–03 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 9–18 बीघा जो ग्राम काकरा पटवार क्षेत्र सालिया तहसील बांसवाडा में स्थित होकर वादी काबिज काश्त है उक्त आराजियात वादी की पुश्तैनी है।

वादीगण के कुल पुरुष स्वः पुजा पिता रंगजी जाति भील के विविध वारिसान है। वादग्रस्त आराजियात पूर्वज पुंजा पुत्र रंगजी के खातेदारी में जमाबंदी 2027 से 2041 बहैसियत खातेदारी दर्ज रही है। वादी पुंजा के समय व उसकी मृत्यु [illegible] दिनांक काबिज [illegible] काश्त है। पुंजा की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीगण ने उक्त आराजियात अवैध [illegible] के [illegible] नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 7.01.1983 को अपने नाम दर्ज [illegible] भी उसके पिता [illegible] का नाम हिरजी है जो माही विभाग में कमर्चारी है अन्य दस्तावेजों [illegible] निरस्तनीय है। [illegible] पूर्व हिरजी ही अंकित है। अतः उक्त आराजियात अवैध होकर [illegible] वादी [illegible] सफाई करने गये [illegible] के पश्चात् सफाई करने गये [illegible] वादीगण अपनी आराजियात से गेहूं की फसल काटने के पश्चात् सफाई करने की धमकिया दी अतः संख्या 1 ने गाली गलौच की और वादग्रस्त आराजियात खुर्दबुर्द करने की धमकिया दी अतः वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलअंदाजी उत्पन्न करने से वादी को अपूर्णनीय क्षति होने व विधिक अधिकारों से वाद बाबत खातेदारी घोषणा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chand Regar
Date: 2022.12.27 14:41:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

वंचित होने की पूर्ण संभावना होने से व प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होने से वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा भी पेश है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात के संबंध में नामानंतरण संख्या 581 जिसके 07.01.1983 को निरस्त कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्थायी निषेधाज्ञा भी फरमावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पाटीदार ने जवाब प्रस्तुत किया तत्पश्चात पत्रावली पर चार तनकीयात निम्नानुसार की गयी।

तनकी संख्या 1

आया वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 68 नई 59 पुरानी के खेत सर्वे नम्बर 1081 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा लगान 11.68 रू एवं सर्वे नंबर 1141 रकबा 2 बीघाा 3 बिस्वा लगान 1.06 रू कुल खेत 2 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा कुल लगान 12.72 रू वाके ग्रामम काकरा पटवार क्षैत्र सालिया तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा स्थित होकर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण की पैतृक होकर उत्तराधिकारी निहित है। वादीगण मुल पुरुष स्वः पुंजा पिता रंगजी जाति भील निवासी काकरा सालिया के उत्तराधिकार वारीसान है। तथा स्वः पुंजा पिता रंगजी के खातेदार में खाता संख्या 340 में जमाबंदी संख्या 2027 से 2041 में बेहसियत खातेदारी के नाम दर्ज रहा है। वाद वर्णित कृषि भूमि या वादीगण के अलावा किसी का हक व अधिकार नही है। और नही किसी का कब्जा है। स्वः पुंजा की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण ने वादीगण की जानकारी व सहमति के बिना अवैध व अनाधिकृत रूप से नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 07.01.1983 के द्वारा वादी वर्णित कृषि में अपना नाम दर्ज करवा दिया दिया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 स्वः पुंजा का पुत्र ही नहीं है स्वः पुंजा के पुत्र वादीगण है।

(बजिम्मेवादीगण)

तनकी संख्या 2

आया वादीगण का वाद वर्णित कृर्षि भुमि में वादीगण के शान्तिपुर्ण उपयोग उपभोग व काश्त में रुकावट पैदा करने से तथा अतिक्रममण करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा 209 राका अधिनियम के तहत वाद उत्पन्न हुआ है।

(बजिम्मेवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:44 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 3

आया वादीगण के वाद पत्र की चरण संख्या 1 अस्वीकार है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 68 नयी पुरानी के सर्वे नम्बर 1081 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा एवं सर्वे नंबर 1141 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा कुल 02 कुल रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा वाकें ग्राम कांकरा पटवार हल्का सालिया तहसील व जिला बांसवाडा राज. में स्थित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक के नाम से होकर काश्त करता आ रहा है वाद पत्र की चरण संख्या 2 से 14 तक अस्वीकार है।

(बजिम्मेप्रतिवादीगण)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

तनकी संख्या 4

दादरसी

पत्रावली पर साक्ष्यवादी के रूप में pw1 लवजी pw2 मानजी के शपथपत्र 04.12.2018 को पेश किये। परंतु आदेशिका दिनांक 06.10.2020, 26.10.20, 17.11.20 तीन अवसरों के पश्चात भी कई अवसर प्रदान किये गये परन्तु न तो साक्ष्य की उपस्थिति हुए और जिरह की सकी तत्पश्चात साक्ष्यवादी बंद की गयी। साक्ष्य प्रतिवादी में DW1 मानेंग पिता पुंजा, DW2 उकार पिता दीया, DW3 रेशमा पिता गोतिया के बिना शपथ पत्र के बयान दर्ज करवाये गये। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली पर अंतिम बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 340 पर संवत 2027–2041 तक वादी के पूर्वज एवं वादीगण काबिज काश्त है। पुंजा का पुत्र मानेंग कोई था ही नहीं वादी पुंजा की संतान है। मानेंग ने अवैध तरीके से जरिये नामान्तरण संख्या 581 पुंजा की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त आराजी अपने नाम करवा ली। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में कोई खण्डन मय ठोस प्रमाण नहीं किया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की जा रही है दखलंदाजी को रोकने हेतु उसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने तर्क देते हुए कथन किया कि वादीगण सालिया के निवासी नहीं है और वादग्रस्त आराजी उनके कब्जे काश्त में नहीं है। हीर जी पुंजा का उपनाम है। वादीगण ने कोई दस्तावजे व मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये है जिसे तथ्य प्रमाणित हो। अतः वादःवादी अस्वीकार कर खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली को ध्यानपूर्वक अवलोकन गहन अध्ययन किया तथा विद्वान अभिभाषक उपयपक्ष पर मनन किया। हम हस्तगत प्रकरण का तनकीवार निर्णय करना उचित समझते है।

तनकी संख्या 1

आया वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 68 नई 59 पुरानी के खेत सर्वे नम्बर 1081 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा लगान 11.68 रू एवं सर्वे नंबर 1141 रकबा 2 बीघाा 3 बिस्वा लगान 1.06 रू कुल खेत 2 कुल रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा कुल लगान 12.72 रू वाके ग्रामम काकरा पटवार क्षेत्र सालिया तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा स्थित होकर वादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण की पैतृक होकर उत्तराधिकारी निहित है। वादीगण मुल पुरुष स्वः पुंजा पिता रंगजी जाति भील निवासी काकरा सालिया के उत्तराधिकार वारीसान है। तथा स्वः पुंजा पिता रंगजी के खातेदार में खाता संख्या 340 में जमाबंदी संख्या 2027 से 2041 में बहैसियत खातेदार [illegible] दर्ज रहा है। वाद वर्णित कृषि भूमि या वादीगण के अलावा किसी का हक व अधिकार नहीं और न ही किसी का कब्जा है। स्वः पुंजा की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादीगण ने वादीगण की जानकारी व सहमति के बिना अवैध व अनाधिकृत रूप से नामान्तरण सं. 581 दिनांक [illegible] 1985 को द्वारा वादी वर्णित कृषि में अपना नाम दर्ज करवा दिया दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 स्वः पुंजा का पुत्र ही नहीं है स्वः पुंजा के पुत्र वादीगण है।

इस तनकी को प्रमाणित करने को सिद्ध वादीगण पर था।

उक्त तनकी को प्रमाणित करने के लिए वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी कमश 2027–30 (प्रदर्श–1), 2030–33 (प्रदर्श–2), 2034–36 (प्रदर्श–3), 2038–41

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

(प्रदर्श–6), प्रस्तुत की जिनमें वादीगण के मूल पुरुष पूंजी पिता रंगजी का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

जमाबंदी संवत 2038–41 में नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 07.01.83 का अंकन कर मानेंग पिता पुंजा दर्ज किया परन्तु किया था प्रमाणीकरण नहीं है तथा ये नामान्तरण विरासतन है या विक्रय विलेख या दान से दर्ज हुआ है अतः नामान्तरण संदिग्ध प्रमाणित है।

प्रतिवादीगण ने भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जो वादीगण के उक्त दस्तावेजों का खण्डन करता है एवं अपने पक्ष में हुये नामान्तरण को सही प्रमाणित करने में प्रतिवादी संख्या 1 असफल रहे । अतः तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2

आया वादीगण का वाद वर्णित कृषि भुमि में वादीगण के शान्तिपुर्ण उपयोग उपभोग व काश्त में रुकावट पैदा करने से तथा अतिक्रमण करने से रोकने हेतु प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा 209 राका अधिनियम के तहत वाद उत्पन्न हुआ है।

तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था।

वादीगण ने शपथ पर कथन किया कि हम काबिज काश्त है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब की चरण संख्या 1 में काबिजकाश्त होना जाहिर किया है। मौखिक साक्ष्य भी प्रतिवादीगण ने बिना शपथ के अधिवक्ता प्रतिवादी ने करवाये है। जवाब के साथ भी शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

निष्कर्षतः तनकी संख्या 2 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3

आया वादीगण के वाद पत्र की चरण संख्या 1 अस्वीकार है। वाद पत्र की वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 68 नयी पुरानी के सर्वे नम्बर 1081 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा एवं सर्वे नंबर 1141 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा कुल 02 कुल रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा वाकें ग्राम कांकरा पटवार हल्का सालिया तहसील व जिला बांसवाडा राज. में स्थित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या एक के नाम से होकर काश्त करता आ रहा है वाद पत्र की चरण संख्या 2 से 14 तक अस्वीकार है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी संख्या 1 पर था।

इस तनकी को प्रमाणित करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 07.01.1983 के संबंध में एवं कब्जे काश्त के संबंध में प्रस्तुत नहीं किये मात्र मौखिक साक्ष्य DW1, DW2, DW3 क्रमशः [illegible] रेशमा, के बयानात् के आधार पर निर्णय किया जाना उचित नहीं है।

अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:44 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 4

दादरसी

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

हम उक्तानुसार वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष तो दस्तावेजी साक्ष्यों व गुणावगुण पर गौर करने उपरान्त प्रदत करना उचित पाते है।

उक्त तनकीवार विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 581 दिनांक 07.01.83 को निरस्त करते हुये वादीगण को वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 68 नई एवं 59 पुरानी खसरा नं. 1081 रकबा 7–15 बीघा एवं खसरा नं. 1141 रकबा 2–03 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 09– 18 बीघा ग्राम काकरा पटवार हल्का सालिया तहसील बांसवाडा का खातेदार काश्त कर घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजियात पर किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय डिक्री की प्रमाणित प्रति भूमिधारी तहसीलदार बांसवाडा को वास्ते राजस्व रिकॉर्ड में अंकन प्रेषित की जावे

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

16.11.22

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:41:44 IST
Reason: SelfAttested